

विषय में श्री इयालारा अच्यार सिंह शैलेश आई एम एस, जिला महापंचायत पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या - 2020/2021 (कां. 14 सिक्कीरिजिडिजिडि)

आचार्य फाइनेयर्स लि. (पूर्व नाम एम् हाउसिंग फाइनेयर्स लि.) पंजिबुन वतयोजन 201-202 फाल्गुन
शासनेक शकामर, माचसरोचर इण्डियनमल प्रिमा, जयपुर ।

प्राणी

वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती मनमर देवी गुज्जर पत्नी श्रीमान वल्लुशम गुर्जर

पता - वार्ड नम्बर 11 मंगोडिओ का मोहल्ला, चाकरू, जयपुर राजस्थान ।

एवं पलेट नम्बर ई-11/101, EWS अपनडेवेल हाउसिंग जी-3, पाटनी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, वार्ड
नम्बर 18, बस स्टैण्ड, टोक रोड, चाकरू, जिला जयपुर ।

2. श्रीमान वल्लु शम पुत्र श्री गुश शम

पता - वार्ड नम्बर 11 मंगोडिओ का मोहल्ला, चाकरू, जयपुर राजस्थान ।

अप्राणीमण

ऋणी पूर्व मारुदर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act, 2002.

उपस्थित - श्री चन्द शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्राणी वित्तीय संस्था की ओर से ।




आदेश

दिनांक: 02.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्राणी ऋणी को दिनांक
29.11.2016 को पुनर्मुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राणी श्रीमती मनमर देवी के स्वामित्त
की सम्पत्ति पलेट नम्बर ई-11/101, EWS अपनडेवेल हाउसिंग जी-3, पाटनी बिल्डर प्राइवेट
लिमिटेड, वार्ड नम्बर 18, बस स्टैण्ड, टोक रोड, चाकरू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 325 वर्गफिट को
बन्धक रख कर कुल राशि 2,21,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राणी
ऋणी द्वारा प्राणी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा
13(2) के अन्तर्गत अप्राणी ऋणी को दिनांक 21.07.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये।
नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राणी वित्तीय
संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of
security interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक
सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध
किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मूलीभाति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 2,21,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल राशि 1,41,768.40/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.07.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मनमर देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर ई-11/101, EWS अफाडैबेल हाउसिंग जी-3, पाटनी बिल्डर प्राईवेट लिमिटेड, चार्ड नम्बर 18, बस स्टैण्ड, टोक रोड, चाकसू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 325 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/12/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर